सुविचार- समय का उत्तम उपयोग करना सीखें क्योंकि विश्व के ज्यादातर सफल मनुष्यों ने इसी का प्रयोग किया है।

KOYTUR TIMES
www.koyturtimes.com

कोयतुर टाइम्स

रायपुर › बिलासपुर › सरगुजा › कोरिया › एमसीबी

बुधवार 29 जनवरी 2025 | RNI: UDYAM-CG-11-0005844 | www.koyturtimes.com

राज्यपाल से छत्तीसगढ़ भ्रमण पर आए कश्मीर के युवाओं ने की मुलाकात, जम्मू कश्मीर में अमन एवं शांति के लिए कार्य करें युवा - राज्यपाल श्री रमेन डेका

रायपुर, छत्तीसगढ़: जम्मू कश्मीर में उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है। युवा विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए आगे आएं लेकिन यह तभी सफल होगा जब यहां शांति होगी। कश्मीर के युवा, अमन एवं शांति के लिए कार्य करें और वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए अपना योगदान दें। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन के 'युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम' के तहत छत्तीसगढ़ भ्रमण पर आए कश्मीर के युवाओं से रूबरू होकर उक्त बातें कहीं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अंतर्गत नेहरू युवा केन्द्र संगठन एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के 'युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम' के तहत कश्मीर के 6 जिलों श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामुला, अनंतनाग, पुलवामा और बड़गांव के स्कूलों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत 132 युवा, 6 दिनों के छत्तीसगढ़ भ्रमण पर गत 26 जनवरी को राजधानी रायपुर पहुंचे है। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ विधानसभा सहित धमतरी जिले में गंगरेल बांध, एडवेंचर पार्क, यूथ क्लब आदि स्थानों में भ्रमण करेंगे। इसी कड़ी में वे राजभवन आए और राज्यपाल श्री डेका से मुलाकात की। राज्यपाल श्री डेका ने इन युवाओं को देश-प्रदेश, समाज एवं परिवार के प्रति जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए कैरियर निर्माण तथा देश के बेहतर नागरिक बनने के लिए जरूरी मार्गदर्शन दिया। श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ और कश्मीर दोनों प्राकृतिक रूप से सुंदर राज्य हैं। युवाओं को एक-दूसरे के राज्य के बारे में जानना चाहिए। जिससे वे अपने गौरवशाली राष्ट्र के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। उन्होंने युवाओं को कैरियर एवं जीवन में आगे बढने के लिए जरूरी बाते बताई और कहा कि वर्तमान में जो हम करेंगे वह हमारा भविष्य बनाएगा। उन्होंने कहा कि आज युवाओं के सामने कैरियर निर्माण के बहुत सारे विकल्प हैं। धैर्य के साथ कड़ी मेहनत करें और अपने जुनून को अपना व्यवसाय बनाएं। श्री डेका ने कश्मीर के विशेष ड्राय फ्रूट, गलीचा, कालीन निर्माण, टूरिस्ट गाइड, होम स्टे जैसे व्यवसायों में स्टार्टअप के लिए युवाओं को मार्गदर्शन दिया। श्रीनगर जिले की युवा छात्रा कुमारी जीनत राही, कुपवाड़ा की कुमारी रिफत युसुफ, पुलवामा जिले के राजा युनुस आदि ने छत्तीसगढ़ भ्रमण के दौरान हो रहे अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, खान-पान, रहन-सहन अद्भूत है। सभी ने यहां किए गए मेहमानवाजी की सराहना की और कहा कि कश्मीर के दूसरे युवाओं को भी छत्तीसगढ़ आने का मौका मिलना चाहिए। युवाओं ने राज्यपाल श्री डेका से अपने कैरियर और राज्य के विकास संबंधी विभिन्न प्रश्न भी पूछे। श्री डेका ने उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन नेहरू युवा के राज्य संचालक श्री अतुल निकम ने दिया। उप संचालक श्री आर. के तिवारी ने युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, संयुक्त सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, नेहरू युवा केन्द्र के अधिकारी तथा कश्मीर से आए हुए युवा छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

राज्यपाल श्री डेका से नव नियुक्त सचिव डॉ. प्रसन्ना ने की भेंट

रायपुर, छत्तीसगढ़: राज्यपाल श्री रमेन डेका ने राजभवन में राज्यपाल के नव नियुक्त सचिव डॉ. श्री सी. आर प्रसन्ना ने भेंट की। राज्यपाल ने उन्हें नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं। नव नियुक्त सचिव डॉ. श्री सी. आर प्रसन्ना ने आज राजभवन में अपना कार्यभार ग्रहण किया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2006 बैच के अधिकारी हैं। उनके पास सहकारिता विभाग का भी कार्यभार है।

प्रधानमंत्री आवास निर्माण में राशि की गड़बड़ी 6 लोगों के विरुद्ध FIR दो बर्खास्त

संवाददाता | रायपुर

प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि गबन करने के मामले में कोरबा जिले में 6 लोगों के विरूद्ध एफआईआर की कार्यवाही की गई है, जिसमें तीन ठेकेदार, दो पूर्व रोजगार सहायक और एक पूर्व आवास मित्र शामिल है। कोरबा कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देश पर हुई इस कार्यवाही के चलते पूर्व रोजगार सहायक प्रकाश चौहान एवं किरण महंत को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ठेकदार मेघनाथ विश्वकर्मा, राजाराम चौहान ग्राम सिमकेंदा, लखनलाल बैगा ग्राम श्यांग, रोजगार सहायक ग्राम श्यांग प्रकाश चौहान और ग्राम सोल्वा के किरण महंत, पूर्व आवास मित्र चंद्रशेखर मँझवार, ग्राम करूमौहा के विरुद्ध पुलिस थाना श्यांग कोरबा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन कोरबा को यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत ग्राम पंचायत श्यांग, सिमकेदा, एवं सोल्वा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 72 हितग्राहियों के आवास आधे अधूरे हैं। आवास बने ही नहीं और 86 लाख रुपए निकाल लिए गए। शिकायत के संबंध में जिला स्तरीय जांच समिति गठित कर जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त तीनों ग्रामों में स्वीकृत 72 आवासों के लिए ठेकेदार राजाराम, मेघनाथ विश्वकर्मा, लखनलाल बैगा और तत्कालीन रोजगार सहायक प्रकाश चौहान,किरण महंत, तत्कालीन आवास मित्र चंद्रशेखर मँझवार के द्वारा आवास की राशि निकाल ली गई है, जिसके कारण आवास निर्माण का कार्य अधूरा है। तत्कालीन विकासखंड समन्वयक लम्बोदर कौशिक, कलेश्वर चौहान तथा तकनीकी सहायक नरेंद्र साहू द्वारा भी बिना भौतिक सत्यापन के आवास पूर्ण होने का जिओ टैग कर पूर्ण भुगतान कराया गया। जिला प्रशासन ने इसे कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही और वित्तीय अनियमितता का मामला मानते हुए संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जनपद पंचायत सीईओ देवानंद श्रीवास के पत्र के अनुसार विकासखंड समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जनपद पंचायत कोरबा के द्वारा उक्त 6 लोगों पर पुलिस थाना श्यांग कोरबा में शासकीय राशि के गबन की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 120-बी, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच का अभियान जारी, अमानक उत्पाद बेचने वाले 6 प्रतिष्ठानों पर 16 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड

रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के विरूद्ध जांच पड़ताल का अभियान लगातार संचालित किए जा रहे हैं। बेमेतरा जिले में खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने आज कई प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया और खाद्य तेलों व खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए संकलित किए। इस अभियान के तहत प्रतिष्ठित विक्रेताओं जैसे जय सुपर बाजार से लाल गुलाब कच्ची घानी सरसों तेल और नेहल सुपर बाजार से पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल के नमूने लिए गए। इन नमूनों को परीक्षण हेतु खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। गौरतलब है कि जिले में पूर्व में की गई जांच पड़ताल एवं परीक्षण में अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय के मामले में 6 दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर 16 लाख 50 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई पूर्व जांच में छह मामलों में खाद्य पदार्थ अमानक पाए गए थे। जिसमें श्री मुरारी फेमिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, नवागढ़ चौक, बेमेतरा द्वारा बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट संचालन के लिए 4 लाख रुपये, मंडेला स्वीट्स, बेमेतरा द्वारा अमानक मिठाई बनाने के लिए 3 लाख रुपये, स्वाति एरकॉन प्रा. लि., कारेसरा द्वारा अमानक रेडवाइन के भंडारण के लिए 5 लाख रुपये, रामेश्वरी ट्रेडर्स, कण्डरका द्वारा मिथ्याछाप धनिया पाउडर बेचने के लिए 1 लाख रुपये, अपना ढाबा, पिकरी, बेमेतरा द्वारा अमानक ग्रेवी बनाने के लिए 3 लाख रुपये तथा अश्वनी किराना, पड़कीडीह द्वारा अमानक अरहर दाल विक्रय के लिए 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया।

Top News अनुपस्थित अधिकारियों व चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी

लंबे समय से अनुपस्थित 27 चिकित्सा अधिकारियों व विशेषज्ञ चिकित्सकों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए किया गया सेवा मुक्त

रायपुर, छत्तीसगढ़: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 27 चिकित्सा अधिकारियो व विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही 21 चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए है। विदित हो कि चिकित्सा अधिकारियों व विशेषज्ञ चिकित्सकों को अपने कर्तव्यस्थल से लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हुए शासन के मूलभूत नियम और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम का उल्लंघन किया गया था। अनुपस्थित अधिकारियों व चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी करके अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया था। सुनवाई में उपस्थित चिकित्सा अधिकारियों/ विशेषज्ञ चिकित्सकों के पक्ष को सुना गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गंभीरता से विचार करते हुए चिकित्सा अधिकारियो व विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं।

उज्जवल बिहान महिला आजीविका द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान में रंगोली और शपथ के माध्यम से दिया संदेश

एमसीबी, छत्तीसगढ़: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का नेतृत्व उज्जवल बिहान महिला आजीविका संकुल संगठन, घुटरा की समस्त पदाधिकारियों, कैडरों और स्वसहायता समूह की दीदियों ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। अभियान के दौरान महिलाओं ने रंगोली के माध्यम से मतदान का संदेश दिया। रंगोली की आकृतियों में मतदान करने की प्रेरणा देने वाले स्लोगन और चित्र प्रदर्शित किए गए, जो आम जनता को आकर्षित करने में बेहद प्रभावशाली साबित हुए। इसके साथ ही संकुल संगठन के पदाधिकारियों और कैडरों ने कार्यक्रम की सफलता में अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत की ओर से प्रभा प्यासी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, स्वच्छ भारत मिशन, और सहायक विकास विस्तार अधिकारी सुश्री मंजुला कौरव ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। उन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए शपथ ली और सभी उपस्थित लोगों को मतदान का महत्व समझाया।

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता ने छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय विकास में दिया है महत्वपूर्ण योगदान

भारतीय समाचार-पत्र दिवस पर विशेष लेख

भारत में हर साल 29 जनवरी को भारतीय समाचार-पत्र दिवस मनाया जाता है, जो भारतीय पत्रकारिता के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह दिन न केवल पत्रकारिता के विकास का उत्सव है, बल्कि उन संपादकों और पत्रकारों को भी याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और लेखनी से समाज को नई दिशा दी है। भारत में समाचार-पत्रों का इतिहास 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित 'हिकीज़ बंगाल गजट' भारत का पहला समाचार-पत्र था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया। हिकी का यह प्रयास ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों के विरुद्ध आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए जाना जाता है। हालांकि यह समाचार-पत्र लंबे समय तक नहीं चल पाया, लेकिन इसने भारतीय पत्रकारिता की नींव अवश्य रखी थी। वहीं 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय समाचार-पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम को गति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान कई प्रमुख संपादकों ने अपनी लेखनी से जनता को जागरूक किया। बाल गंगाधर तिलक भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक क्रांतिकारी संपादक के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने 'केसरी' और 'मराठा' समाचार-पत्रों का संपादन किया। इन अखबारों के माध्यम से उन्होंने स्वराज का नारा दिया और ब्रिटिश शासन की नीतियों की तीखी आलोचना की। तिलक के लेखों ने जनता को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही महात्मा गांधी ने 'यंग इंडिया' और 'हरिजन' के संपादक के रूप में समाज को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने पत्रकारिता को सत्य और नैतिकता का माध्यम बनाया। उनके लेखों ने न केवल भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव डाला। हिंदी पत्रकारिता के पहले समाचार-पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' के संपादक जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में इसे शुरू किया। यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार-पत्र था, जिसने हिंदी भाषी जनता को जागरूक करने का कार्य किया था। वहीं जी. सुब्रमण्य अय्यर ने 'द हिन्दू' को 1878 में प्रारंभ किया। यह समाचार-पत्र ब्रिटिश शासन के खिलाफ आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। अय्यर की संपादकीय नीतियों ने इसे जनता का विश्वासपात्र बनाया। इसके साथ ही शिशिर कुमार घोष ने 'अमृत बाज़ार पत्रिका' के संपादक के रूप में पत्रकारिता को स्वतंत्रता संग्राम का मंच बनाया। उनके नेतृत्व में यह पत्रिका जनता की आवाज और ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ एक सशक्त माध्यम बना था। इसके अलावा राजाराम मोहन राय ने सामाजिक सुधारों के लिए 'समाचार सुधावर्षण' और 'बंगदूत' का संपादन किया। उनके लेखों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जनमत तैयार किया। आजादी के बाद भारतीय पत्रकारिता ने न केवल लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया, बल्कि सामाजिक मुद्दों को उजागर करने का कार्य भी किया। कुलदीप नैयर, जो एक प्रतिष्ठित पत्रकार और संपादक थे, ने आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने 'स्टेट्समैन' और 'इंडियन एक्सप्रेस' में अपने लेखों के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया । वहीं रामनाथ गोयनका ने 'इंडियन एक्सप्रेस' के माध्यम से पत्रकारिता को नया आयाम दिया। उनका समाचार-पत्र निष्पक्षता और निर्भीकता का प्रतीक बना। वर्तमान समय में पत्रकारिता डिजिटल मीडिया की ओर बढ़ चुकी है। संपादकों की भूमिका पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के युग में संपादकों का कर्तव्य है कि वे तथ्यात्मक और सत्य जानकारी प्रस्तुत करें। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार-पत्रों में 'देशबंधु', 'हरिभूमि', 'नवभारत', 'दैनिक भास्कर', और 'पत्रिका' जैसे प्रमुख पत्रिकाएं शामिल हैं। 'देशबंधु' छत्तीसगढ़ का पहला प्रमुख हिंदी समाचार-पत्र है, जिसे 1959 में प्रकाशन शुरू किया गया। इसके संस्थापक और संपादक राजेंद्र अवस्थी ने इसे जनता की आवाज के रूप में स्थापित किया। उनकी लेखनी ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत में जनजागरण का काम किया। इसके साथ ही 'हरिभूमि' छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार-पत्रों में से एक है, जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है। इसके प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी ने इसे एक सशक्त मंच के रूप में आज भी स्थापित किए हुए हैं। इसके अलावा 'नवभारत' छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में से एक है। इसके संपादक पंकज शर्मा ने इसे जनहित के मुद्दों पर केंद्रित बनाए रखा और पत्रकारिता की उच्च मान्यताओं को आज भी बरकरार रखा है। इसके साथ ही 'दैनिक भास्कर' और 'पत्रिका' जैसे राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्रों का भी छत्तीसगढ़ में बड़ा पाठक वर्ग है। इन समाचार-पत्रों के छत्तीसगढ़ संस्करण ने स्थानीय खबरों और क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता दी है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता ने सामाजिक सुधार, शिक्षा, आदिवासी अधिकारों और राज्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह क्षेत्रीय पत्रकारिता का एक सशक्त उदाहरण है, जहां संपादकों ने न केवल जनहित के मुद्दे उठाए बल्कि समाज को प्रगति की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय समाचार-पत्र दिवस हमें पत्रकारिता के उन मूलभूत सिद्धांतों की याद दिलाता है, जिन पर यह पेशा आधारित है - सत्यता, निष्पक्षता और जनता के प्रति जवाबदेही। साथ ही यह दिन उन संपादकों और पत्रकारों को सम्मानित करने का भी अवसर है, जिन्होंने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी लेखनी का उपयोग आज भी कर रहे है ।

ईवीएम का प्रदर्शन कर नगर पंचायतों में मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक

एमसीबी, छत्तीसगढ़: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के तहत जाबो (जागव-वोटर) कार्यक्रम के तहत लोगों को मतदान की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम में ईवीएम प्रदर्शन और प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स द्वारा कराया जा रहा है। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद् मनेंद्रगढ़, नगर पंचायत झगराखांड में ईवीएम का प्रदर्शनकरलोगोंकोजागरूक किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर द्वारा ईवीएम के प्रदर्शन के दौरान मतदान प्रक्रिया की विस्तृतजानकारीदीजारहीहै।

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 हेतु प्रेक्षक नियुक्त

संवाददाता | एमसीबी

एमसीबी, छत्तीसगढ़: जिले के नगरपालिका निगम चिरमिरी, नगरपालिका परिषद् मनेंद्रगढ़, नगर पंचायत झगराखांड, नगर पंचायत नई लेदरी, नगर पंचायत खोंगापानी तथा नगर पंचायत जनकपुर नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 हेतु श्री दुष्यंत कुमार रायस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूडा को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक के निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण और निरीक्षण के दौरान लक्ष्मी ठाकुर अनुविभागीय अधिकारी (फारेस्ट), सतीश रवि उप अभियंत नगरपालिका निमग चिरमिरी तथा अमजद खान स.रा.निरी. न.पा.परि. मनेंद्रगढ़ को लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका स्थानीय पता रेस्ट हाउस, लोक निर्माण विभाग मनेंद्रगढ़ होगा। इनका सम्पर्क नंबर 9752562520 तथा 9479010235 है।

जप्तशुदा लावारिस वाहनों की नीलामी 13 फरवरी को प्रस्तावित

एमसीबी, छत्तीसगढ़: पुलिस अधीक्षक जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के प्रतिवेदन में दिये गये जिले के अनुभागों में “जप्तशुदा लावारिस वाहनों“ की नीलामी किये जाने हेतु 13 फरवरी 2025 को समय 12:00 बजे स्थान थाना मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में किया जाना प्रस्तावित है। अतएव उक्त नीलामी प्रक्रिया में जिला स्तरीय नीलामी समिति एवं ऑफसेट मूल्य तय करने हेतु समिति के अधिकारी, कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। जिसमें अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। जिला दण्डाधिकारी एवंकलेक्टरअध्यक्ष,पुलिस अधीक्षक सदस्य, अपर कलेक्टरसदस्य,कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सदस्य, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग विद्युत एवं यांत्रिकी सदस्य, सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सदस्य, जिला परिवहन अधिकारी नोडल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सदस्य, सर्व थाना प्रभारीसदस्य,सर्वमुख्यनगर पालिका, नगर पंचायत अधिकारी सदस्य तथा मैकेनिक को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्कालप्रभावशीलहोगा।

Top News निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार की आपत्ति या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भूमि विक्रय एवं रकबा सुधार हेतु दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 6 फरवरी तक

एमसीबीर, छत्तीसगढ़ : न्यायालय कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी जिला एमसीबी के पत्र क्र./240/वाचक/कले./2025 मनेन्द्रगढ़ दिनांक 10 जनवरी 2025, अनावेदक श्री टी.के पटेल पिता श्री एन.आर. पटेल निवासी ग्राम-मनेन्द्रगढ, तहसील मनेन्द्रगढ जिला एमसीबी के द्वारा ग्राम मनेन्द्रगढ प.ह.नं. 14 में स्थित भूमि खसरा नंबर 319/13, रकबा 0.006 हे0 है। तहसील मनेन्द्रगढ द्वारा प्राप्त पत्र में उल्लेखित आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में आवेदक के खसरा नं.319/13, 330/6झ के रकबों में वृद्धि होना पाया गया है। मूल खसरा नं. 319/13, 330/6झ के राजस्व निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उक्त भूमि के रकबों में सुधार किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा आपत्ति पेश करना है, तो 06 फरवरी 2025 तक पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा। इसी तरह एक और न्यायालय कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी जिला एमसीबी छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 240/वाचक/कले./2025, दिनांक 10 जनवरी 2025, मनेन्द्रगढ़ के अनुसार, अनावेदक श्री सैय्यद आजम पिता श्री सैय्यद अकबर, निवासी ग्राम मनेन्द्रगढ़, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी द्वारा ग्राम मनेन्द्रगढ़ के पटवारी हल्का नंबर 14 में स्थित भूमि खसरा नंबर 475/5, रकबा 0.0240 है आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार, उक्त भूमि के खसरा नंबर 475/5 के रकबे में वृद्धि पाई गई है। मूल खसरा नंबर 475/5 के राजस्व निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त भूमि के रकबे में सुधार किया जाना है। इस संबंध में, जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी हो, वह 6 फरवरी 2025 तक प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार की आपत्ति या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भूमि विक्रय को लेकर दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 06 फरवरी को

संवाददाता | मनेंद्रगढ़

ग्राम - मनेन्द्रगढ़, की जनता को सूचित किया जाता है कि अनावेदक श्री अनिल जसूजा पिता श्री भगवानदास निवासी ग्राम मनेन्द्रगढ़, तहसील मनेन्द्रगढ़ जिला एमसीबी द्वारा ग्राम मनेन्द्रगढ़ प.ह.न.14 में स्थित भूमि खसरा नंबर 312/48, रकबा 0.014 हे0 है आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार, उक्त भूमि के खसरा नंबर 312/48 के रकबे में वृद्धि पाई गई है। मूल खसरा नंबर 312/48 के राजस्व निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त भूमि के रकबे में सुधार किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा आपत्ति पेश करना है, तो 06 फरवरी 2025 तक